सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार— I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2024 / 26

दर्ज तिथिः— 29.07.2024

1. अनिता पुत्री हजारीमल निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. कमलेश देवी पुत्री भगवानाराम निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. गुडी पुत्री हजारीमल निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. गणपतराम पुत्र किसनाराम निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. गिरधारीलाल पुत्र रेखाराम निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. चावली देवी पत्नि भगवानाराम निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. जयप्रकाश पुत्र भगवानाराम निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. देवकरण पुत्र पूर्ण निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. दीपाराम पुत्र किसनाराम निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. धन्नाराम पुत्र पूर्ण निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. बजरंगलाल पुत्र चूनाराम निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. भंवरलाल पुत्र किसनाराम निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
13. भंवरी पत्नि हजारीमल निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
14. मनीराम पुत्र भगवानाराम निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
15. रतनलाल पुत्र किसनाराम निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
16. राजेन्द्र पुत्र भगवानाराम निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
17. रामनिवास पुत्र बेगाराम निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
18. स्व. लक्ष्मण पुत्र पूर्ण निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
19. विजेन्द्र पुत्र हजारीमल निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
20. विनोद पुत्र शिशुपालसिंह निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
21. श्रीचन्द पुत्र चूनाराम निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
22. शिशराम पुत्र भगवानाराम निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
23. संजय पुत्र शिशुपालसिंह निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
24. सुधिरा पुत्री हजारीमल निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
25. सुमेरसिंह पुत्र चुनाराम निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
26. सरिता पुत्री हजारीमल निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
27. सरोज पुत्री भगवानाराम निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:26 IST
Reason: SelfAttested

....प्रार्थीगण

बनाम

1. अब्दुल जब्बार पुत्र अब्दुला जाति कसाई निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू
2. प्रतापसिंह पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी थैलासर तहसील व जिला चूरू
3. झाबरमल पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू
4. दयानन्द पुत्र हरूराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. मनकोरी पत्नी हरूराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. रामदेवा पुत्र हरूराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. श्रवणराम पुत्र हरूराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. सुभाष पुत्र हरूराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. परमेश्वर पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. मदन पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. हुणताराम पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी पन्नेसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. सुमित्रा देवी पत्नि हरदतसिंह जाति जाट निवासी कैलाश तहसील तारानगर जिला चूरू
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री सुरेन्द्र डूडी
अप्रार्थी सं. 2ः– श्री हीरालाल मंडार
अप्रार्थी सं. 3, 7 ता 11ः– श्री अभिषेक पूनियाँ
अप्रार्थी सं. 12ः– श्री नन्दराम राहड़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः– 04.05.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अनिता पुत्री हजारीमल आदि द्वारा खसरा नम्बर 280, 281, 282, 283 एवं 284, रोही मौजा ढाणी पन्नैसिंह के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया । प्रार्थीगण का मुख्य कथन है कि वे उक्त भूमियों के संयुक्त खातेदार [illegible] काश्तकार हैं । उनके खसरा नम्बरों के दक्षिण में कटाणी रास्ता (ख.नं. 648 [illegible]9) [illegible] है । प्रार्थीगण का आरोप है कि अप्रार्थीगण आए दिन सीमाओं [illegible] हैं और रास्ता की भूमि को अपनी भूमि में शामिल करने की चेष्टा करते हैं, जिससे स्थाई विवाद की स्थिति बनी रहती है । अतः प्रार्थीगण ने सीमाओं का विधिक [illegible] करवाकर पुख्ता पत्थरगढ़ी करवाने की मांग की है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:26 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1, 4 ता 6 को विधिवत तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा उपस्थित होकर जवाब/हाजिरी प्रस्तुत नहीं की गई, अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हीरालाल मंडार ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 3, 7 ता 11 की ओर से अधिवक्ता श्री अभिषेक पूनियां ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से अधिवक्ता श्री नन्दराम राहड़ ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 13 भूमिधारी है। प्रतिवादी संख्या 02 के जवाब प्रार्थना–पत्र की मुख्य बातें निम्नलिखित हैंः–

- अप्रार्थी ने अंकित किया है कि उसने अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी हेतु वर्ष 2005 में ही आवेदन किया था, जिस पर न्यायालय द्वारा 24.06.2010 को ही सीमांकन के आदेश पारित किए जा चुके हैं ।
- भू–प्रबन्ध विभाग सीकर और राजस्व टीम द्वारा पुलिस जाब्ते के साथ दिनांक 22.03.2024 को विवादित सीमाओं का वैज्ञानिक पद्धति से सीमा ज्ञान और निशानदेही की कार्यवाही पहले ही पूर्ण की जा चुकी है ।
- प्रार्थीगण ने स्वयं उसकी (प्रताप सिंह की) कृषि भूमि पर नाजायज रूप से घुसकर बाड़ा और कच्चे–पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है ।
- प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 282, 283, 284 के दक्षिण में जिस कटाणी रास्ते (ख. नं. 648/609) का उल्लेख किया गया है, अप्रार्थी ने उसे गलत बताते हुए कहा है कि मौके पर ऐसा कोई रास्ता मौजूद नहीं है ।
- अप्रार्थी के अनुसार प्रार्थीगण ने बिना किसी विधिक आदेश के राजस्व नक्शे में गलत रास्ता अंकित करवाया है, जो वास्तव में राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने योग्य तथ्य है ।
- प्रार्थीगण ने इस न्यायालय के पूर्व आदेश (24.06.2010) की पालना में होने वाली पुख्ता पत्थरगढ़ी को रोकने के लिए ही यह आधारहीन प्रार्थना–पत्र पेश किया है ।
- प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी के माध्यम से पैमाईश या मौका रिपोर्ट प्राप्त किए बिना सीधे यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जो विधिक रूप से चलने योग्य नहीं है ।

3. जवाब प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर पत्रावली बहस में नियत की जाकर उभय पक्षकारान की सीधे बहस सुनी गई।

- प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थीगण खसरा संख्या 280, 281, 282, 283 एवं 284, रोही मौजा ढाणी पन्नैसिंह के संयुक्त खातेदार काबिज काश्तकार हैं । प्रार्थीगण की भूमि के दक्षिण में सरकारी कटाणी रास्ता खसरा संख्या 648/609 स्थित है, जिसके ठीक दूसरी ओर अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण आए दिन प्रार्थीगण की सीमाओं (सींवों) के साथ छेड़छाड़ करते हैं और रास्ता की भूमि को दबाकर प्रार्थीगण की भूमि में घुसने की चेष्टा करते हैं । पक्षकारों के मध्य [illegible] और सीमा विवाद के स्थाई निराकरण हेतु राजस्व रिकॉर्ड [illegible] के अनुसार चारों ओर पुख्ता पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है ।
- अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने दौरान बहस तर्क दिया कि अप्रार्थी ने अपनी भूमि के सीमांकन हेतु वर्ष 2005 में ही वाद प्रस्तुत किया था, जिस पर इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2010 को ही पुख्ता सीमांकन के आदेश पारित किए जा चुके हैं । भू–प्रबन्ध विभाग (सेटलमेन्ट) सीकर एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस जाब्ता की मौजूदगी में दिनांक 22.03.2024 को प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही सुपर इम्पोज पद्धति से निशानदेही की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है, जिसकी फर्द मौका पत्रावली पर उपलब्ध है । वास्तव में प्रार्थीगण ने ही अप्रार्थी की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बाड़ा एवं कच्चे–पक्के मकान बना रखे हैं । जब सक्षम विभाग द्वारा निशानदेही दी जा चुकी है, तब यह प्रार्थना–पत्र केवल पूर्व आदेशों की पालना और होने वाली पत्थरगढ़ी को बाधित करने के उद्देश्य से पेश किया गया है, जो कि खारिज होने योग्य है । अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *– All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Records Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:26 IST
Reason: SelfAttested

6. आज यह प्रार्थना–पत्र धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सीमा–ज्ञान (सीमांकन) एवं पत्थरगढ़ी के संबंध में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण (कुल 12) ग्राम ढाणी पन्नेसिंह, तहसील व जिला चूरू के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 239 तादादी 3.1236 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 465 खसरा नम्बर 280, 281, 282, 283 एवं 284, रोही मौजा ढाणी पन्नैसिंह पटवार हल्का श्योपुरा, भू. अ. निरीक्षक रतननगर का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि के दक्षिण में सरकारी कटाणी रास्ता खसरा संख्या 648 / 609 स्थित है, जिसके ठीक दूसरी ओर अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण आए दिन प्रार्थीगण की सीमाओं (सींवों) के साथ छेड़छाड़ करते हैं और रास्ता की भूमि को दबाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि में घुसने की चेष्टा करते हैं । पक्षकारों के मध्य आए दिन होने वाले इस झगड़े और सीमा विवाद के स्थाई निराकरण हेतु राजस्व रिकॉर्ड व पुरानी निशानदेही के अनुसार चारों ओर पुख्ता पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है ।

7. अप्रार्थी संख्या 15 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर तर्क दिया गया कि वास्तव में प्रार्थीगण ने ही अप्रार्थी की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बाड़ा एवं कच्चे–पक्के मकान बना रखे हैं । जब सक्षम विभाग द्वारा निशानदेही दी जा चुकी है, तब यह प्रार्थना–पत्र केवल पूर्व आदेशों की पालना और होने वाली पत्थरगढ़ी को बाधित करने के उद्देश्य से पेश किया गया है।

8. उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया। धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि की सीमा निश्चित करवाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2070–73 से उसका उक्त खसरा हक व हिस्सा प्रमाणित है।

9. प्रार्थीगण का कथन है कि सीमा चिन्ह नष्ट हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर पैमाइश करवाना ही विवाद के स्थाई समाधान का एकमात्र विकल्प है। चूंकि सीमाज्ञान राजस्व प्रक्रिया है न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू खसरा संख्या 280, 281, 282, 283 एवं 284, रोही मौजा ढाणी पन्नैसिंह पटवार हल्का श्योपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र रतननगर की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की निष्पक्ष टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते [illegible] के समीप सभी खातेदारों की उपस्थिति में राजस्व [illegible] विधिवत सीमाकंन एवं पत्थरगढ़ी करावें। संबंधित पक्षकारों / हित[illegible] की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत विधिवत नोटिस / सूचना तामील करवाते हुए पत्थरगढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:26 IST
Reason: SelfAttested

की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। सीमांकन के दौरान यदि कोई 'कटानी रास्ता' रिकॉर्ड में दर्ज है, तो उसे अनिवार्य रूप से चिन्हित किया जावे ताकि अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट हो सके। यह आदेश केवल सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी तक सीमित रहेगा तथा इससे किसी भी पक्ष के स्वामित्व, कब्जा अथवा विभाजन संबंधी अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। सीमाज्ञान का राजकीय शुल्क एवं पत्थरगढ़ी का समस्त व्यय प्रार्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 04.05.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मुद्रा न्यायालय से खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार—I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:26 IST
Reason: SelfAttested